



नगर विकास न्यास, बीकानेर

राजस्थान सरकार

दरती

क्रमांक: LU2012/BIK/2023-24/100324

दिनांक: 29.05.2024

विषय: - राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क के अधीन कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के सक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :

श्री SHIV RAJ SINGH पुत्र श्री INDER SINGH जाति RAJPUT निवासी- NEAR MATAJI MANDIR SUBHASH PURA, BIKANER.

- ऊपर नामित आवेदक ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क के अधीन भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.	चक. 1 बीएसएम-16 बीएसएम चक. 11 बीएसएम बीकानेर (बीकानेर)	SHIV RAJ SINGH	चक. 11 बीएसएम मुरब्बा नं. 158/33 किला नं. 19/1, 22	4299	0.4299
				कुल	0.4299

- आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की-मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।
- यह कि मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजों/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैंने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।
- अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का आवासीय प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जायेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि नियमों, विनियमों या उप-विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।
- आवेदक द्वारा उस भूमि को जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गई है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात् स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात् ही गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जायेगा।
- इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तों की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अद्योहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 29.05.2024 को पारित किया गया है।

कार्यालय अधीक्षक (राज.) बीकानेर

क्रमांक- 831

उद्घाटन दिनांक- 31/5/24

नगर विकास न्यास, बीकानेर

प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही करें।

31.5.24
अधीक्षक (राजस्व)
बीकानेर



जमाबन्दी (खेवट/खतोनी) (प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (बी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- 11 बी.एस.एम.
पटवार हल्का :- उदासर
भू.अभि.नि. :- बीकानेर
तहसील :- बीकानेर
जिला :- बीकानेर

सम्बत :- 2069 - 2072
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- बीघा-विस्वा
खाता संख्या नया :- 46
खाता संख्या पुराना :- 32

काश्तकार का नाम:-

शिवराजसिंह पुत्र इन्द्रसिंह जाति राजपूत सा.सुभाषपुरा माताजी मन्दिर के पास बीकानेर खातेदार ई.न.148

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण	कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
-------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	--	---------

प. 0

सु. 158/33

कि. 19/1	0.1400	कमाण्ड	0.1400		नहर
कि. 20/1	0.0100	कमाण्ड	0.0100		नहर
कि. 22	1.0000	कमाण्ड	1.0000		नहर

कुल किता : 3	भूमि प्रकार के अनुसार क्षेत्रफल
	कमाण्ड 1-15 0.4375

कुल खसरे - 3	1-15	1-15	0.43
--------------	------	------	------

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 28-Nov-2025





जमादन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- 11 ई.एस.एम.
पटवार हल्का :- उदासर
भू.अभि.नि. :- गाढ़वाला
तहसील :- बीकानेर
जिला :- बीकानेर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2073-2076 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी
भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार
क्षेत्रफल की ईकाई :- हेक्टेयर
खाता संख्या नया :- 78
खाता संख्या पुराना :- 42

काश्तकार का नाम:-

1. नगर विकास न्यास, बीकानेर हिस्सा- पूर्ण जाति- (NA) NA संस्था,

खसरा संख्या

क्षेत्रफल भूमि वर्गीकरण कृषक सिंचाई अन्तरण के क्रम में प्रमाणित
द्वारा के नामान्तरकरण संख्या व दिनांक
संदत्त माधन
लगान

प.न. 0

स्वीकृत नामान्तरकरण : 292 13/07/2024-नया
आदेश

मु.न. 158/33

कि.न. 19/1

22

0.1770 कमाण्ड 0.1770 0.04 नहर
0.2529 कमाण्ड 0.2529 0.06 नहर

कुल किता : 2

भूमि
प्रकार
के
अनुसार
क्षेत्रफल
कमाण्ड 0.4299 0.10

कुल किता : 2

भूमि
प्रकार
के
अनुसार
क्षेत्रफल
कमाण्ड 0.4299 0.10

कुल खसरे - 2

0.4299 0.4299 0.1000

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्षी के रूप में नहीं किया जा सकता है।

नकल जारी करने की तिथि :- 27-Jan-2025

NIC